



वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय
5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली – 110001
फा. . सं. 342/GoMonSystem Reforms/GSTC/2022

22-08-2023

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: जीएसटी (GST) प्रणाली सुधारों से सम्बन्धित मंत्रियों के समूह (GoM) में आंशिक संशोधन।

कार्यालय ज्ञापन संख्या S-31011/12/2021-DIR(NC)-DOR, दिनांक 22.09.2022 और कार्यालय ज्ञापन संख्या S-31011/112/2021-DIR(NC)-DOR, दिनांक 24.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, उपरोक्त विषय पर यह सूचित किया जाता है कि इस मंत्रियों के समूह (GoM) की पुनर्गठित संरचना इस प्रकार है:

क्रम संख्या	नाम, पदनाम और संगठन	पद
1.	श्री अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	संयोजक
2.	श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	श्री टी.एस. सिंह देव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
4.	सुश्री आतिशी मार्लेना, वित्त मंत्री, दिल्ली	सदस्य
5.	श्रीमती अजंता नियोग, वित्त मंत्री, असम	सदस्य
6.	श्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, वित्त, योजना और विधायी कार्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
7.	श्री विक्रम केशरी अरुखा, वित्त मंत्री, ओडिशा	सदस्य
8.	श्री थंगम थेन्नारासु, वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य

- जीएसटी प्रणाली सुधारों पर मंत्रियों के समूह (GoM) के अन्य निर्धारित कार्य- क्षेत्र अपरिवर्तित रहेंगे।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(सौरव सुमन शार्दूल)
निदेशक
22-08-2023

सेवा में,
मंत्रियों के समूह (GoM) के माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि:

1. माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली;
2. माननीय राज्य वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली;
3. महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु राज्यों के नोडल अधिकारी, माननीय सदस्यों को जीएसटी प्रणाली सुधारों पर मंत्रियों के समूह (GoM) के सदस्य के रूप में उनके नामांकन के बारे में सूचित करने हेतु।
4. राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली;
5. अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली;
6. सीईओ, GSTN, नई दिल्ली;
7. सभी राज्यों के नोडल अधिकारी।

(सौरव सुमन शार्दूल)
निदेशक
22-08-2023